

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

फिस्म मुकदमा :- राजस्व प्रार्थना पत्र
अनवान तहसीलदार

बनाम

संख्या :- 25/2020
रामसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत, मालपुरियां

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
07.02.2020	<p>तहसीलदार उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 LR Act, 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा-मालपुरियां, पटवार हल्का बिरोल, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 156/1 जमाबन्दी सेगीगेशन कार्य को पूर्ण करने एवं नक्शे में दर्ज खसरा नम्बरों का वन दू वन मिलान के मध्य जिन खसरों में रिकार्ड मौका तथा नक्शे में भिन्नता आ रही हैं यथा खातेदारों के अलग अलग खसरों नम्बरों की सीमाओं में अन्तर हैं तथा नक्शा अनुरूप खसरों का रकबा मिलान नहीं होता है। ऐसे खसरा नम्बरों के नक्शे की सीमाओं में दुरुस्ती प्रस्ताव निम्नानुसार सेवा में पेश हैं। ग्राम मालपुरियां पटवार हल्का बिरोल तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के खसरा नम्बर 156/1 रकबा 08-06 बीघा खातेदार का आवेदन मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि पेश कर निवेदन है कि निम्नानुसार रिकार्ड दुरुस्ती का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। प्रस्तुत प्रा. पत्र एवं मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर्ड हो।</p> <p>मौजा मालपुरियां के खसरा नम्बर 156/1 रकबा 08-06 बीघा भूमि संलग्न जमाबन्दी अनुसार खातेदार रामसिंह पुत्र रतनसिंह कौम राजपूत निवासी मालपुरियां के नाम दर्ज हैं। पटवारी हल्का बिरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में निवेदन किया कि उक्त खातेदार की उक्त भूमि मौके पर 02-00 बीघा एवं 06-06 बीघा अलग-अलग स्थानों पर स्थित हैं, जिनकी सीमाएँ एक दूसरे से चिपती हुई नहीं हैं। तथा बीच में अन्य खातेदारों की भूमि आई हुई है। अतः उक्त 08-06 बीघा भूमि को दो भागों में रेकर्ड में दर्ज किया जाना उचित होगा। ताकि DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत वन दू वन मेंपिंग तरमीम कार्य में सुविधा होगी तथा रेकर्ड भी अपडेट हो जायेगा। इस संबंध में संबंधित खातेदार रामसिंह ने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरुस्ती हेतु निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार जैतारण वास्ते रेकर्ड दुरुस्ती राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 एवं 131 के तहत प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया गया।</p> <p>प्रार्थी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी हल्का बिरोल की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। संबंधित खातेदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर भी गौर किया गया व पाया कि काश्तकार की उचित समस्या को दूर करने एवं रेकर्ड अपडेट करने तथा नक्शा तरमीम के लिए खसरा नम्बर 156/1 रकबा 08-06 बीघा भूमि को दो भागों में प्रस्ताव अनुसार 02-00 बीघा एवं 06-06 बीघा में विभाजित करते हुए रेकर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा- मालपुरियां पटवार हल्का बिरोल तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 156/1 की जमाबन्दी में खातेदार के नाम दर्ज हैं। पटवारी हल्का बिरोल, भू.अ.निरीक्षक जैतारण एवं तहसीलदार जैतारण ने खातेदार का आवेदन एवं रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं, जिसे प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार खसरा नम्बर 156/1 रकबा 08-06 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 156/1 रकबा 02-00 बीघा एवं 156/4 रकबा 06-06 बीघा की इन्द्राज दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। खातेदार के नाम, हक हिस्सा की प्रविष्टियां बदस्तूर जारी रहेगी, तथा खातेदार व अन्य पक्षकार इस बाबत किरसी भी समय संबंधित सक्षम न्यायालय से अगर उचित समझे तो अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगें, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पृथक से आदेश जारी हो जो पत्रावली का भाग होगा, आदेश एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जो इस निर्णय का भाग होगा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाबता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p>	<p>166 12/2/20</p>

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या...../2020
तहसीलदार
अनवान

निर्णय दिनांक:-07/02/2020
रामसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत मालपुरियां

बनाम
आदेश

(अंतर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956)

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण के खाता डुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल-बिरोल व भू.अ. निरीक्षक-जैतारण की रिपोर्ट तथा तहसीलदार जैतारण की अनुशंसा, खातेदारान् की प्रार्थना के आधार पर तहसील क्षेत्र जैतारण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार भू-अभिलेखों की डिजिटल इजेशन हेतु संचालित DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत जमाबंदी, नक्शा एवं मौका स्थिति की अनुरूपता के लिए मौका एवं नक्शा की स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप तस्मीम कार्य में उत्पन्न अवरोध के निराकरण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं 131 के अनुसरण में ग्राम-मालपुरियां, तहसील-जैतारण, जिला-पाली की जमाबंदी संवत् 2075-2078 में निम्नलिखित खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टियां, कुल रकबा एवं भूमि की किस्म अग्रभाविता रहते हुए बदस्तूर जारी रहेगी। कोई भी खातेदार किसी भी समय अगर आवश्यक नाम, हक हिस्सा की प्रविष्टियां, कुल रकबा एवं भूमि की किस्म अग्रभाविता रहते हुए बदस्तूर जारी रहेगी। कोई भी खातेदार किसी भी समय अगर आवश्यक समझे तो संबंधित सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के तहत असरा विभाजन करना

नाम ग्राम - मालपुरियां, पटवार मण्डल - बिरोल, भू.अ.नि. - जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

वर्तमान खाते का विवरण

खाता संख्या	असरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण
148	156/1	08-06	चा.प्र.	रामसिंह पुत्र रतनसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार। रहन आर.एम.जी.बी. शाखा बलून्दा।
योग	1	08-06	चा.प्र.	

शुद्धि की प्रविष्टि

खाता संख्या	असरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण
148	156/1	02-00	चा.प्र.	रामसिंह पुत्र रतनसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार। रहन आर.एम.जी.बी. शाखा बलून्दा।
योग	2	08-06	चा.प्र.	



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण